"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2003—पौष 23, शक 1924

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/पीएचई-1/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम-1980 में निम्नलिखित संशोधन करते है अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची चार के कॉलम (2) में शब्द "मुख्य अभियन्ता (सिविल) तथा मुख्य अभियन्ता (विद्युत तथा यांत्रिकी)" के स्थान पर शब्द "मुख्य अभियन्ता (सिविल)" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 13th January 2003

NOTIFICATION

No. F 1-3/PHE-1/2002.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the constitution of India. the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Public Health Engineering (Gazetted) Service Rules, 1980, namely :—

AMENDMENT

In the said rules in Schedule IV in column (2) in place of the words "Chief Engineer (Civil) and Chief Engineer (Electrical and Mechanical)" the words "Chief Engineer (Civil)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
INDIRA MISRA, Additional Chief Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.